न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 14/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 तेजाराम पुत्र मगाराम जाति सीरवी निवासी चण्डावल नगर		1 रतनसिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति पुरोहित निवासी चण्डावल नगर तहसील सोजत 2 मोहनीदेवी पत्नी भारतसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी चण्डावल तहसील सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री भुण्डाराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांकः– 10.5.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत असिस्टेन्ट कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 136/2016 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा चण्डावल के खसरा नम्बर 1140 व 1137 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के नोटिस तामील होने से पूर्व ही अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में ही खसरा नम्बर 1141 में से व 1135 में से वैकल्पिक मार्ग की स्थिति तथा आवेदित भूमि में जाने वाली भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर की सूचना तहसीलदार/उप पंजीरक सोजत से तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आवागमन का रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध था, इसके बावजूद पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से रिपोर्ट तैयार की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से तामील करवाते हुए उक्त तामील के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 1141 व 1135 की भूमि की माठ के सहारे सहारे 30 फीट चौडा रास्ता प्रदान कराने की मांग की गई है, किन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर मात्र 1141 में से ही रास्ता देने का कथन किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास खुद की भूमि में से होकर रास्ता अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है व अब रास्ते की मांग करने एवं पूर्व में रतनसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज करने एवं उसी न्यायालय द्वारा पुनः वैसा ही अनुतोष प्रदान करना रेसज्युडिकेटा की श्रेणी में आता है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी भूमि के चारो तरफ तारबन्दी कर रखी है, न तो पूर्व में ऐसा रास्ता अपीलाण्ट के खेत में से था, न ही वर्तमान में है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के लिए अपनी खातेदारी भूमि में से होकर खसरा नम्बर 1148, 1136, 1130 की माठों के सहारे सहारे खुद की भूमि में से आवागमन होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि रास्ते से जुडी हुई है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की भूमि में से रास्ते का अनुतोष प्रदान किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु एवं गुणावगुण दोनों पर ही खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि में आवागमन का अभाव होने के कारण इनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को जरिये नोटिस तलब किया गया। उक्त नोटिस अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से तामील हुए है, जिसे सम्यक तामील मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की गई। उक्त तामील के आधार पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है, जिसमें वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। उक्त आदेश की पालना भी हो चुकी है। अपीलाण्ट जिस भूमि में रास्ता होना बताते है, वहां कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। चूंकि धारा 251ए के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाते हुए कार्यवाही करने के प्रावधान है तथा विधि अनुसार पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर ही निर्णय किया जाना न्यायोचित माना है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधिवत जांच कर जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त

तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित करते हुए रास्ता प्रदान कराने का निर्णय किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से स्वाभाविक रूप से खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई, उसको इस रूप में विवेचित किया कि जैर अपील आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 27.02.2017 को हुई, जब राजस्व अधिकारी मौके पर नया रास्ता कायम करने हेतु उपस्थित हुए। इसके पश्चात जैर अपील आदेश की प्रतियां प्राप्त कर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह उभयपक्ष के अभिभाषकगण की उपस्थिति में दिनांक 29.11.2016 को पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा जिन तथ्यों को प्रार्थना पत्र का आधार बनाया है, वे इस कारण स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश की पालनार्थ तहसीलदार सोजत को जो तहरीर जारी की गई, वह दिनांक 02.03.2017 को जारी की गई, इससे यह स्पष्ट होता है कि निर्विवादित रूप से तहरीर जारी होने से पूर्व कोई भी राजस्व अधिकारी बिना किसी आदेश के मौके पर रास्ता कायम करने हेतु नहीं जा सकता है, जब आदेश की पालनार्थ पत्र दिनांक 02.03.2017 को प्रेषित किया गया, तो दिनांक 27.02.2017 को राजस्व अधिकारीयों का मौके पर जाना एवं रास्ता कायम करने हेतु कार्यवाही करना सत्य से परे प्रतीत होता है। इस कारण अपीलाण्ट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं कि अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी दिनांक 27.02.2017 को हुई हो। परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। इसके उपरान्त भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार गुणावगुण पर प्रकरण का परीक्षण किया जाता है, तो यह स्थिति प्रकट होती है कि – अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम चण्डावल नगर के खसरा नम्बर 1140 रकबा 0.16 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1137 रकबा 0.61 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1141 रकबा 0.5120 हैक्टेयर तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1135 में से 30 फीट चौडा रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार सोजत से

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

मौका निरीक्षण प्रतिवेदन तलब करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में समस्त अप्रार्थीगण को जो नोटिस जारी किये गये, वे नोटिस स्वयं अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से तामील करवाए गए है, जो सम्यक तामील की श्रेणी में आने से तामील माने गए। इसके पश्चात दिनांक 07.11.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं दिनांक 22.11.2016 को अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1036 एवं उसके पास से कदीम से रास्ता गुजर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कराने का निवेदन किया। प्रकरण में जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उनमें आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग तथा वैकल्पिक मार्ग का अभाव पाया गया तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध हुई है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में मौके पर मार्ग उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान करने का अनुतोष दिया गया है, जो विधि सम्मत है। इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में रास्ते का अभाव एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम,1963 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपील मियाद बाहर होने एवं गुणावगुण पर भी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा असिस्टेन्ट कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 136/2016 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली